(NEWS LETTER VOL.–1/2020)

# MEDIATION

## A WIN-WIN DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

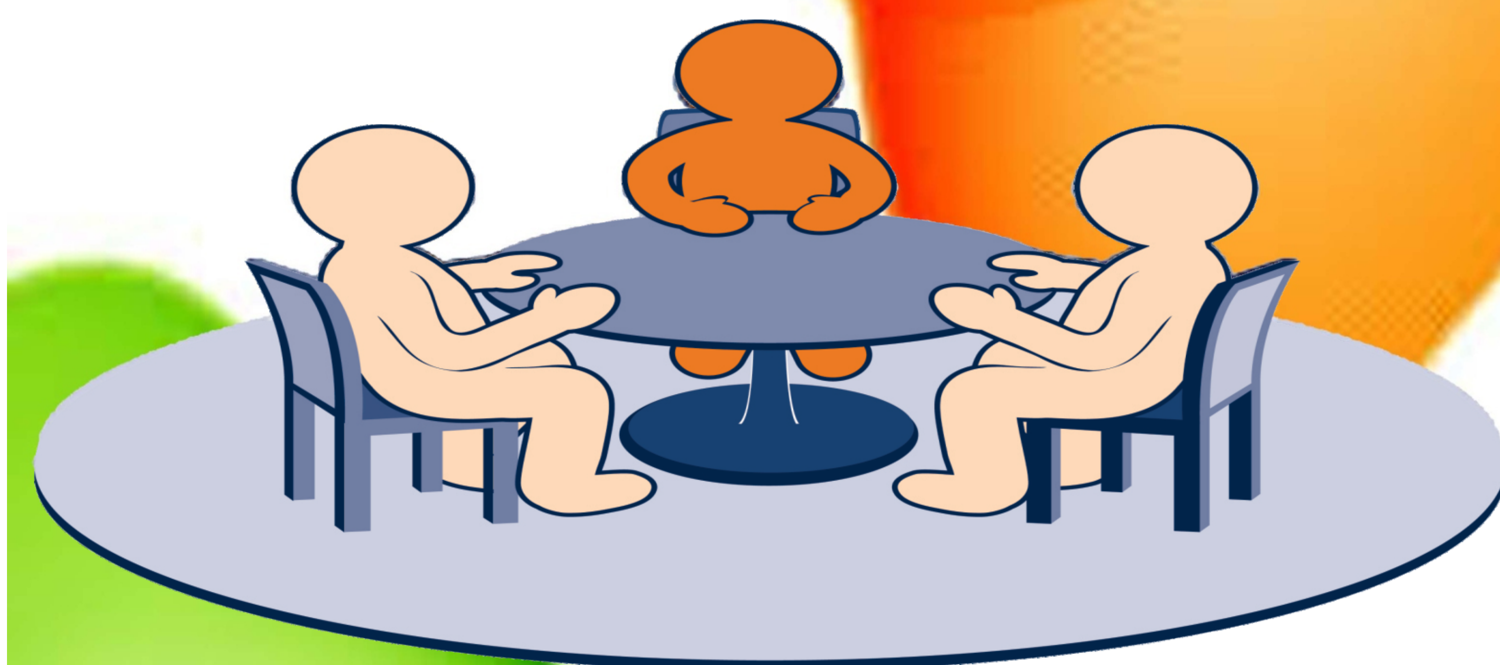

### MEDIATION

Judgment of Parties
On their own conditions
Through the pen of Judge
Such is the magic of mediation

### मध्यस्थता

पक्षकारों का फैसला
पक्षकारों की शर्तों पर
न्यायाधीश के कलम से
यही है मध्यस्थता का कमाल


**HIGH COURT MEDIATION CENTRE**
**HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR**

Email- mediation-hc@cg.gov.in
Phone - 07752-242024

# भारत का संविधान
## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

# HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

**Hon'ble Mr.Chief Justice P.R. Ramachandra Menon**
**High Court of Chhattisgarh**

**Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra**
**High Court of Chhattisgarh**
**Executive Chairman**
**C.G. State Legal Services Authority,**
**Bilaspur (C.G.)**

## COMMITTEE TO MONITOR THE MEDIATION CENTRES IN THE HIGH COURT AND SUBORDINATE COURTS OF THE STATE

**Hon'ble Mr. Justice P. Sam Koshy**
**High Court of Chhattisgarh**
**Chairman**

**Hon'ble Mr. Justice R.C.S. Samant**
**High Court of Chhattisgarh**
**Member**

**Hon'ble Mrs. Justice Vimla Singh Kapoor**
**High Court of Chhattisgarh**
**Member**

**Mr. Sanjay Kumar Jaiswal**
**Registrar (Inspection & Enquiry)**
**cum In-charge, Mediation Centre &**
**Secretary, Mediation Committee High Court of Chhattisgarh**

**P.R. Ramachandra Menon**
Chief Justice

सत्यमेव जयते

High Court of Chhattisgarh
Bilaspur
Pin. 495 220
Phone: 07752-241001 (O)
Fax: 07752-241028 (O)

## Message

Borrowing the words of Late Abraham Lincoln, the term "Mediation" can be defined as the conflict resolution mechanism **"of the litigants, by the litigants and for the litigants".**

Even in the mythological background, disputes are not uncommon and it was being sought to be resolved with the intervention of a facilitator/Mediator.

Mounting number of disputes and inadequacy of infrastructure for resolving it has led to long pendency of cases throughout the Country; particularly in adversarial system of conflict resolution. This paved the way for introduction of Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 with effect from 01.07.2002 as a matter of 'necessity', which is the mother of all inventions.

No wonder in the multi-fold increase in litigations, which can be connected to several factors like population, economic growth advanced technology, easy access to the system, higher literacy rate and the awareness of one's rights etc. This can be tackled in the given context of inadequate demand-supply ratio of infrastructure, only by deploying one or the other mode by way of arbitration, Conciliation, Lok Adalat and Mediation. Among the four, 'Mediation' turns to be the most effective and desirable mechanism; which is being facilitated by the trained Mediators. An individual dispute may get widened and branched out to different layers and levels. Since only one person wins in the adversarial system, it will continue for years before different Courts/levels. Mediation cuts the 'root cause' and provides solution once and for all, virtually without getting it sprouted anymore.

In the process of Mediation, both the parties are winners, as there is no loser. When husband and wife continue to fight for victory (from the Trial Court to the Apex Court), the perpetual loser will only be the 'child', which situation can be averted better by 'Mediation', enabling the parties to take a decision and find the resolution by themselves. Same is the position in the other subjects, as well.

I cannot but appreciate the earnest efforts being taken by the Chhattisgarh High Court Mediation Centre in bringing out its 'Maiden News Letter' reflecting all the requisite information and the statistics, besides such other valuable inputs from different corners. I wish all success in their endeavor.

**(P.R. Ramachandra Menon)**
Chief Justice

**न्यायमूर्ति पी.आर. रामचन्द्र मेनन**
मुख्य न्यायाधीश

सत्यमेव जयते

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,**
बिलासपुर - 495220
फोन - 07752-241001 (O)
फैक्स - 07752-241028 (O)

# <u>संदेश</u>

स्वर्गीय अब्राहम लिंकन के शब्दों में, ''मध्यस्थता'' शब्द (पद) को ''पक्षकारों का, पक्षकारों के द्वारा और पक्षकारों के लिए'' संघर्ष समाधान तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

पौराणिक पृष्ठभूमि में भी, विवाद असामान्य नहीं है और किसी सहायक/मध्यस्थ के हस्तक्षेप से इसका समाधान ढूंढ़ने का प्रयास किया जाता था।

विवादों की बढ़ती हुई संख्या और उनके समाधान के लिए अधोसंरचना की अपर्याप्तता, विशेष रूप से विवाद समाधान की प्रतिद्वंदात्मक प्रणाली के कारण देश भर में लंबित प्रकरणों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसने 01.07.2002 से लागू व्य.प्र.सं. 1908 की धारा 89 का मार्ग ''आवश्यकता'' के विषय के रूप में प्रशस्त किया है जो समस्त आविष्कारों की जननी है।

मुकदमों में कई गुना वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसका संबंध कई कारकों जैसे जनसंख्या, आर्थिक विकास, उन्नत तकनीक, तंत्र तक आसान पहुंच, उच्च साक्षरता दर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि से है। दिए गए संदर्भ में बुनियादी ढांचे की अपर्याप्त मांग–आपूर्ति अनुपात से समझौता, सुलह, लोक अदालत और मध्यस्थता में से किसी एक या अन्य साधन को प्रसारित करके इससे निपटा जा सकता है। इन चारों में मध्यस्थता सबसे प्रभावी और वांछनीय तंत्र साबित होता है जिसकी सुविधा प्रशिक्षित मध्यस्थों के द्वारा प्रदान की जा रही है। एक व्यक्तिगत विवाद विभिन्न परतों और स्तरों पर विस्तार पा सकता है। चूंकि प्रतिकूल प्रणाली में केवल एक ही व्यक्ति विजयी होता है, इसलिए यह वर्षों तक विभिन्न न्यायालयों/स्तरों पर चलता रहता है। मध्यस्थता 'मूलकारण' को काटती है और वस्तुतः अंकुरित हुये बिना हमेशा के लिये समाधान प्रदान करती है।

मध्यस्थता की प्रक्रिया में दोनों पक्ष विजयी होते हैं क्योंकि इसमें कोई हारता नहीं है। जब पति और पत्नी विजय के लिये लगातार संघर्ष करते हैं (विचारण न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक) तो केवल 'बच्चा' ही सदा के लिये पराजित होगा, इस परिस्थिति को 'मध्यस्थता' के द्वारा पक्षकारों को निर्णय लेने और उन्हें स्वयं के द्वारा समाधान ढूंढने (खोजने/निकालने) में सहायता करके या सक्षम बनाकर, अनुकूल बनाया जा सकता है। ठीक यही स्थिति अन्य विषयों में भी होती है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित मूल्यवान आंकड़ों के अतिरिक्त समस्त आवश्यक जानकारी और सांख्यिकी को प्रतिबिंबित करते हुए 'प्रथम समाचार पत्र' प्रकाशित करने में उसके द्वारा किए जा रहे गंभीर प्रयास की सराहना करने से मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं उनके इस प्रयास में सफल होने की कामना करता हूँ।

**न्यायमूर्ति पी.आर. रामचन्द्र मेनन**
मुख्य न्यायाधीश

***Justice Prashant Kumar Mishra***
*High Court of Chhattisgarh*

सत्यमेव जयते

"Vidya Niketan", Hansa Vihar
Shrikant Verma Marg
Bilaspur - 495001

# MESSAGE

It is indeed heartening to know that the ***Chhattisgarh High Court Mediation Centre*** is bringing out its ***'Maiden News Letter'*** containing valuable information and statistics necessary for effective mediation.

Since time immemorial mediation has been a powerful medium to resolve disputes between and amongst different groups and litigants.

The most paramount benefit of a mediation is that it does not end in a ***'Decision'*** in which one party wins and the other looses. The successful mediation ends in ***'Samadhan'*** in which both the parties are winners. It is, thus, a win-win situation for all including the legal process. It not only removes that particular case from the docket, but it encourages others to follow the mediation process for resolving a dispute.

I congratulate the Chhattisgarh High Court Mediation Centre for their pious effort in bringing out the news letter.

**(Justice Prashant Kumar Mishra)**

**न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा**
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़

विद्या निकेतन, हंसा विहार
श्रीकान्त वर्मा मार्ग
बिलासपुर - 495001

सत्यमेव जयते

## संदेश

यह जानकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र प्रभावी मध्यस्थता के लिए आवश्यक बहुमूल्य जानकारी एवं आंकड़ों से युक्त प्रथम **'News Letter'** प्रकाशित करने जा रहा है।

पुरातन समय से ही मध्यस्थता विभिन्न समूहों और पक्षकारों के बीच विवादों को सुलझाने का एक सशक्त माध्यम रहा है।

मध्यस्थता का सर्वोपरि लाभ यह है कि यह किसी निर्णय पर समाप्त नहीं होता जिसमें कि एक पक्ष विजयी होता है और दूसरा पराजित होता है। सफल मध्यस्थता ''समाधान'' पर समाप्त होता है जिसमें दोनों पक्ष विजयी होते हैं। इस प्रकार, कानूनी प्रक्रिया सहित सभी के लिए यह एक जीत की स्थिति (फायदेमंद) होती है। यह किसी विशिष्ट प्रकरण को न केवल प्रकरणों की सूची से हटाता है अपितु विवाद को सुलझाने हेतु मध्यस्थता का अनुसरण करने के लिये अन्य लोगों को प्रोत्साहित भी करता है।

मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र को **'News Letter'** प्रकाशित करने में उनके इस पवित्र प्रयास के लिये बधाई देता हूँ।

**न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा**
न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
कार्यपालक अध्यक्ष,
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

Justice P. Sam Koshy
Judge
High Court of Chhattisgarh

सत्यमेव जयते

Luthra Compound, Behind
Luthra Hospital, Nehru Nagar
Bilaspur - Chhattisgarh
Ph. : (O) 07752-241007
(R) 07752-270065
email : justice.psamkoshy@nic.in

We all know that basically there are two methods of resolving a dispute. The first method is that of adjudication, by a court, authority or tribunal resulting in a decision by the concerned court, authority or the tribunal. The second method is that of negotiation between the disputing parties resulting in a solution for resolving the dispute.

In the adjudicatory process there is a decision by a judge, whereas in the negotiation or mediation process, there arises a solution which is amicable, acceptable and which gives both the party feel of a win-win situation. The former process is a binding process whereas the latter process is in non-binding process fully dependent upon the volition of the parties.

In the state of Chhattisgarh the process of resolving the dispute between the parties by way of mediation is still in its infancy stage. It is a State which is predominantly rural and tribal area and mostly is inhabited by illiterate rustic people. In such type of situations the major role for making the citizens aware of such a method of dispute resolution lies exclusively upon the legal fraternity particularly the judges and lawyers in the state of Chhattisgarh. The message of this method of dispute resolution has to be taken throughout the length and breadth of the state. The courts including the High Court and the District Courts and the lawyers practising in the High Court and the lawyers in each of the districts have a major role, duty and responsibility casted upon them for taking the torch of awareness in the field of mediation.

What has to be also realised is that the object of mediation is to offer to the litigant public all the disputing parties, a speedy, satisfactory and cheaper alternate dispute resolving process other than the adjudicatory method of deciding a dispute.

It is a process where the disputing parties find out an amicable solution by a process of negotiation with a neutral assistance of a mediator and where the parties voluntarily with the assistance of a mediator negotiate the claim or a dispute and arrive at a solution which is acceptable to either side.

Hence, let us all take the torch of this art of mediation and propagate it to its fullest, so as to reap the fruits of the process.

(Justice P. Sam Koshy)

**न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी**
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़

सत्यमेव जयते

लूथरा कम्पाउँड, लूथरा हॉस्पिटल के पीछे,
नेहरू नगर, बिलासपुर
फोन – 07752-241007 (O)
फैक्स – 07752-270065 (R)

# <u>संदेश</u>

हम सभी जानते हैं कि किसी विवाद को सुलझाने की दो विधियां हैं। प्रथम विधि किसी न्यायालय, प्राधिकारी या प्राधिकरण द्वारा न्याय निर्णयन है जिसका परिणाम संबंधित न्यायालय, प्राधिकारी या प्राधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय होता है। दूसरी विधि है, विवाद के पक्षकारों के मध्य सुलहनामा (सुलहवार्ता) जिसमें विवाद को सुलझाने के लिए समाधान निकलता है।

न्याय–निर्णयन की प्रक्रिया में एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया जाता है, जबकि सुलहवार्ता या मध्यस्थता की प्रक्रिया में एक समाधान निकलता है जो मैत्रीपूर्ण एवं स्वीकार्य होता है तथा दोनों पक्ष को विजेता होने का एहसास कराता है। पहली प्रक्रिया एक बाध्यकारी प्रक्रिया है जबकि दूसरी प्रक्रिया पूर्णतया पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर गैर–बाध्यकारी प्रक्रिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया अभी अपने शैशव अवस्था में है। यह एक ऐसा राज्य है जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र है और जहां अधिकांशतः अशिक्षित और ग्रामीण लोग निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में, विवाद सुलह की ऐसी विधि के बारे में नागरिकों को जागरूक करने में मुख्य भूमिका विधिज्ञ समुदाय विशिष्ट रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की होती है। विवाद सुलह की इस प्रक्रिया का संदेश राज्य में चारों ओर प्रसारित किया जाना होगा। उच्च न्यायालय सहित जिला न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं की मुख्य भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि मध्यस्थता के क्षेत्र में जागरूकता का प्रकाश फैलाएं।

यह महसूस किया गया है कि मध्यस्थता का उद्देश्य विवाद को न्याय–निर्णयन की विधि से सुलझाने के बजाय समस्त वादियों, जनता और विवाद के पक्षकारों को एक त्वरित, संतुष्टिपूर्ण और सस्ती विवाद सुलह की वैकल्पिक प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया जाना है।

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां विवाद के पक्षकार एक मध्यस्थ की तटस्थ सहायता से सुलहवार्ता की प्रक्रिया के माध्यम से मैत्रीपूर्ण समाधान पाते हैं और जहां पक्षकार मध्यस्थता की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक अपने दावे या विवाद का सुलह करते हैं और एक ऐसे समाधान पर पहुंचते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होता है।

अतः आइए हम सब मध्यस्थता की इस रोशनी को अपने हाथों में लें और इसका व्यापक प्रचार करें ताकि इसका फल हमें प्राप्त हो।

**न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी**
न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
अध्यक्ष, मध्यस्थता केन्द्रों की निगरानी समिति

**Rajendra Chandra Singh Samant**
***JUDGE***

***High Court of Chhattisgarh***
***Bilaspur***
***PIN 495 220***
***Phone : 07752-241009 (O)***

## MESSAGE

It gives me immense pleasure to note that Chhattisgarh High Court Mediation Committee is bringing out its first NEWS LETTER, which is a collection of information, statistics and achievements so far.

It has been stressed upon in the statutory provisions that every jurisdictional court has a duty to promote settlement between the parties in a case of compoundable nature and Mediation is one of powerful tools of ADR system. Happily the State of Chhattisgarh has lesser litigation compared to other States but even then there is necessity for resorting to ADR mechanism in the interest of the parties, as any settlement resolves the dispute completely and finally and both the contesting parties come out as winners.

This NEWS LETTER is a compilation of the experience so far. It is just a beginning and a lot of work is still to be done, the task ahead is a long journey. Kudos to the Chhattisgarh High Court Mediation Centre and all concerned. I wish all the best.

**(Rajendra Chandra Singh Samant)**
**Judge and Member of Mediation**
**Committee of High Court of Chhattisgarh**

**न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामन्त**
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बिलासपुर – 495220
**फोन** – 07752–241009 (O)

## संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ मध्यस्थता समिति अपना प्रथम **'News Letter'** प्रकाशित करने जा रहा है जो कि अब तक की जानकारी, सांख्यिकी और उपलब्धियों का संकलन है।

सांविधिक प्रावधानों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि शमनीय प्रकृति के प्रकरण में पक्षकारों के बीच समझौते को प्रोत्साहित किया जाए और मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक सशक्त माध्यम है। यह प्रसन्नता की बात है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में कम मुकदमें हैं लेकिन फिर भी पक्षकारों के हित में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी सुलह विवाद को पूर्णतया और अंतिमतः सुलझा देता है और दोनों प्रतियोगी पक्षकार विजेता की भांति बाहर आते हैं (विजयी होते हैं)।

यह **'News Letter'** अब तक के अनुभवों का एक संकलन है। यह तो सिर्फ एक शुरूआत है और अभी बहुत सारे कार्य किये जाना है, आगे यह कार्य एक लंबी यात्रा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र और सर्वसंबंधित को यश प्राप्त हो। मेरी शुभकामनाएं।

**न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामन्त**
न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
सदस्य, मध्यस्थता केन्द्रों की निगरानी समिति

संजय कुमार जायसवाल

रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं जांच)

प्रभारी, मध्यस्थता केन्द्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,

सचिव, मध्यस्थता केन्द्रों की निगरानी समिति


## संपादकीय

हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ो में है। प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है जिससे न्यायालयों पर भार बढ़ता जा रहा है। इसमें तभी कमी हो सकती है जब न्यायिक निर्णयों के अलावा अन्य विकल्पों का समुचित उपयोग किया जावे।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में ऐसे वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया बतायी गयी है, उनमें से एक विकल्प मध्यस्थता (**Mediation**) का है। विवादों के निराकरण की यह बहुत पुरानी पद्धति है किंतु हमारे देश में इसका उपयोग प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है। मध्यस्थता के प्रभावी उपयोग तथा आम जन को इसके प्रति जागरूक करने का यह छोटा सा प्रयास है।

मध्यस्थता एक ऐसी पद्धति है, जिससे ना सिर्फ प्रकरण का बल्कि समूचे विवाद का निराकरण होता है फिर चाहे उस विवाद से जुड़े कितने ही मामले हों और किसी भी न्यायालय में लंबित हों या लंबित ना भी हों तो भी उनका निराकरण इस पद्धति से किया जा सकता है। इस पद्धति की विशेषता यह भी है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया में न्यायालय के किसी अभिलेख या दस्तावेज अथवा साक्ष्य की भी जरूरत नहीं होती। मध्यस्थता की प्रक्रिया में समय या पद्धति का विशेष बंधन भी नहीं होता। विवाद के सभी पक्ष आपसी चर्चा के माध्यम से स्वयं फैसला लेते हैं जिसमें मध्यस्थ उन्हें एक बिन्दु पर सहमत होने के लिये प्रेरित मात्र करता है और यह कार्य अपनी कुशलता के आधार पर निष्पक्ष रहते हुए करता है।

इस प्रकार मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी पक्ष आपसी चर्चा से अपने विवाद का निराकरण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग न्यायालय आने से पहले भी हो सकता है। इस प्रक्रिया के समुचित उपयोग से हम वर्षों तक न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर चलने वाली लंबी, खर्चीली, तनाव देने वाली सुनवाई से बच सकते हैं और न्यायालयों का भार कम करने में भी अपना सहयोग दे सकते हैं।

आमजन इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया की विशेषताओं से अवगत होकर लाभ प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मध्यस्थता केन्द्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा यथासंभव सरल भाषा में इस **"News Letter"** का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रत्येक पाठक इस पुस्तिका से चाहा गया लाभ उठायें, साथ ही निरक्षर जन को भी योजना की जानकारी देकर सेवाकार्य में भागीदार बनें। इस लघु पुस्तिका के माध्यम से विशेष तौर पर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले आम जन को उल्लेखित जानकारी सरल भाषा में पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस लघु पुस्तिका के प्रकाशन के लिये माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य, **(Hon'ble committee to monitor the Mediation Centres in the High Court and Subordinate Courts)** द्वारा संदेश प्रेषित कर मार्गदर्शन करते हुए अमूल्य समय प्रदान किया है जिसके लिये हम उनके हृदय से आभारी हैं। हम इस लघु पुस्तिका के प्रकाशन में सहयोग करने वाले लेखकगण, संकलनकर्ता व अन्य सभी के सहयोग हेतु भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

इस पुस्तिका से आमजन को अपने विवाद के निराकरण में थोड़ा भी लाभ मिल सके तो मध्यस्थता केन्द्र का प्रयास सफल होगा। इस पुस्तिका को उपयोगी बनाने हेतु पाठकगण के पत्र एवं सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी।

एक उम्मीद के साथ ......................

# * <u>भारत का संविधान</u> *

## मूल कर्त्तव्य

**अनुच्छेद 51. क. मूल कर्त्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –**

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं ;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले ;

(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

.......0.......0.......0.......

**" गॉधी जी ने कहा है कि जो अपने कर्त्तव्यों का पालन करता रहता है, अधिकार उसे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। "**

*वास्तव में कर्त्तव्य पालन से ही अधिकारों का जन्म होता है। जब तक हम अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक दूसरों को उनका अधिकार नहीं मिल सकेगा, इसी प्रकार दूसरे लोग अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमें अपना अधिकार नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अधिकार मांगने से पहले अपने कर्त्तव्यों का पालन करें, तभी हमारा अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा।*

## :: मध्यस्थता ::

**मध्यस्थता क्या है :–**

मध्यस्थता विवादों को निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति मध्यस्थ (मीडियेटर) दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए उन्हें तैयार करता है। इस प्रक्रिया में लचीलापन है और कानूनी प्रक्रियागत जटिलताएं नहीं हैं। इस प्रक्रिया में आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं।

**मध्यस्थता क्यों?**

न्यायालयों में विवादों को सुलझाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें एक बार शुरू हो जाने के पश्चात् पक्षों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और न्यायालय का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। न्यायालय द्वारा एक पक्ष के हित में निर्णय सुनिश्चित है, किन्तु दूसरे पक्ष के विपरीत होना भी उतना ही सुनिश्चित है। दोनों पक्षों के हित में निर्णय, जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकें, ऐसा निर्णय न्यायालय नहीं दे सकता। न्यायालय द्वारा तथ्यों, विधिक स्थिति तथा न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर निर्णय दिया जाता है जबकि मध्यस्थता दो पक्षों को खुलकर बातचीत करने के लिये प्रेरित और उत्साहित करती है। वह पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है। वह दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समान अवसर देकर, पक्षों में सामंजस्य स्थापित करती है। मध्यस्थता में विवादों को निपटाने का सारा प्रयास स्वयं पक्षों का होता है, जिसमें मध्यस्थ (मीडियेटर) उनकी सहायता करता है। पूरी प्रक्रिया पर पक्षों का नियंत्रण बना रहता है। निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का रहता है। कहीं भी अव्यवस्था एवं दबाव नहीं रहता, पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है।

**मध्यस्थता से होने वाले लाभ :–**

01. मध्यस्थता एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है, जिसमें पक्षों को समझौता करने के लिए सहमत किया जाता है तथा पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिये अवसर प्राप्त होता है।
02. रिश्तों में आई दरार से हुये नुकसान की पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होता है।
03. एक ऐसा उपाय है, जिसमें पक्ष स्वयं अपना निर्णय ले सकते हैं।
04. हिंसा, घृणा, धमकियों से हटकर एक सभ्य उपाय है, जिससे विवादों का समाधान निकाला जा सकता है।
05. यह प्रक्रिया मुकदमें का विचारण नहीं करती और न ही गुणदोष पर निर्णय देती है।
06. यह प्रक्रिया किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की अपेक्षा सस्ती है।
07. इसमें सफलता की संभावनायें अधिक है तथा किसी भी स्थिति में पक्षों के लिये लाभकारी है।
08. इस प्रक्रिया में पक्षों को एक–दूसरे की बातें सुनने, भावनाओं को समझने का सही अर्थो में अवसर प्राप्त होता है।
09. इस प्रक्रिया में पक्षों में किसी प्रकार भय नहीं होता, पक्ष अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि प्रक्रिया गोपनीयतापूर्ण है, अतः पक्ष अपनी बात को खुले मन से कह पाते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता।
10. इस प्रक्रिया में पक्ष स्वयं अपना निर्णय लेते हैं, अतः उनकी आशाओं के विपरीत किसी भी अप्रत्याशित निर्णय प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती, जैसा कि न्यायालय की प्रक्रिया में अक्सर होता है।
11. मध्यस्थता से समझौता पर आधारित निर्णय कुछ घंटे या दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। अनेक महीनों या वर्षों तक यह प्रक्रिया नहीं चलती अर्थात् समय की बचत होती है।
12. जहां न्यायालय के आदेश के अनुपालन करवाने में भी अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होती है, वहां मध्यस्थता से प्राप्त समझौता स्वयं पक्षों का स्वेच्छा से प्राप्त निर्णय होता है, अतः उसके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होती है।
13. न्यायिक प्रक्रिया में वाद समय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि मध्यस्थता में विवादों को किसी भी स्तर पर निपटाया जा सकता है, इसमें विलंब कभी नहीं होता।
14. इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त समझौते से मन को शांति मिलती है।
15. मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क की छूट प्रदान की गई है।
16. मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत प्रकरण में कोई अपील नहीं होती विवाद का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है।

**मध्यस्थता से कौन से विवाद में समझौता संभव है :–**

**सिविल केस (व्यवहारवाद) :–**

01. निषेधाज्ञा के प्रकरण।
02. विनिर्दिष्ट अनुतोष।
03. पारिवारिक वाद।
04. मोटर दुर्घटना।
05. मकान मालिक एवं किरायेदार।
06. सिविल रिकवरी।
07. व्यावसायिक झगड़े।
08. उपभोक्तावाद।
09. वित्तीय एवं लेनदेन के विवाद।

**दांडिक प्रकरण :–**

01. सभी राजीनामा योग्य अपराध के मामले।
02. धारा 498–ए आई.पी.सी. (सशर्त)।
03. धारा 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंन्ट एक्ट (चेक बाउंस से संबंधित)।
04. राजस्व प्रकरण।

**मध्यस्थता का लाभ कैसे प्राप्त करें :–**

मध्यस्थता हेतु आवेदन जिस न्यायालय में मामला लंबित हो, वहां प्रस्तुत करें।

**मध्यस्थता एक विधिक प्रक्रिया है :–**

मध्यस्थता धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा छ0ग0 मध्यस्थता नियम 2015 के अंतर्गत पूर्णतः विधिक प्रक्रिया है।

**मध्यस्थता के लिए प्रकरण का प्रेषण/आवेदन :–**

01. प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
02. प्रकरण के पक्षकार द्वारा संबंधित न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है।

**मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना :–**

01. तहसील स्तर पर व्यवहार न्यायालय में।
02. जिला स्तर पर जिला न्यायालय में।
03. उच्च न्यायालय में।

जिला न्यायालयों में जिला स्तरीय मध्यस्थता केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं, जहाँ मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता केन्द्र में समय–समय पर बैठक कर मध्यस्थता से निराकृत होने वाले चयनित प्रकरणों के पक्षकारों के मध्य सुलह–समझौते के आधार पर राजीनामा करवाकर प्रकरण के निराकरण का प्रयास किया जाता है। जिलों के मध्यस्थता केन्द्र में कई मामलों का निराकरण मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से मध्यस्थों द्वारा किया जा चुका है। मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों को सुलझाकर पक्षकारों को निर्विवादपूर्ण जीवन दिये जाने की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी है।

**"सच्चाई का कार्य में बदल जाना न्याय है।"**

**– डीजरायली**

## CASES SUITABLE FOR MEDIATION

Cases suitable for referral to mediation/conciliation include commercial and contractual matters, property matters, partnership disputes, company disputes, family matters including matrimonial and child custody, family business matters, labour matters, landlord-tenant matters, offences which are compoundable in Criminal Procedure Code, Accident Claim matters, Negotiable Instruments Act cases etc. The scope of these processes is not limited to these types of disputes and may cover all such and other disputes which the Court may find appropriate for mediation and conciliation.

## STATISTICAL DATA

| | HIGH COURT MEDIATION CENTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Period** | **Referral** | **Settled** | **Not Settled** | **Non Starter** | **Pending** |
| | 01.01.2019 to 31.12.2019 | 89 | 17 | 48 | 21 | 17 |
| | 01.01.2020 to 31.10.2020 | 23 | 03 | 13 | 10 | 14 |
| | **SUB-ORDINATE COURT MEDIATION CENTRES** | | | | | |
| 2. | **Period** | **Referral** | **Settled** | **Not Settled** | **Non Starter** | **Pending** |
| | 01.01.2019 to 31.12.2019 | 3134 | 895 | 1690 | 678 | 277 |
| | 01.01.2020 to 31.10.2020 | 807 | 264 | 443 | 159 | 218 |

| | TRAINED MEDIATORS (MCPC) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | **Judicial Officers** | | **Advocates** | |
| | **High Court** | **Subordinate Courts** | **High Court** | **Subordinate Courts** |
| | 05 | 86 | 24 | 101 |

## ACTIVITIES OF HIGH COURT MEDIATION CENTRE

### A. MEDIATOR TRAINING (MCPC)

The Hon'ble Committee to monitor the Mediation Centres in the High Court and Subordinate Courts, for ensuring the availability of sufficient number of trained mediators had been pleased to approve the list of 41 participants (Judicial Officers & Advocates) to undergo 40 hours mediation training programme (MCPC) which was organised from 03rd to 07th August, 2019 in collaboration with the Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.

### B. PAYMENT OF HONORARIUM

The Hon'ble Committee to monitor the Mediation Centres in the High Court and Subordinate Courts had been pleased to approve the payment of honorarium to mediators for settled cases in the High Court Mediation Centre for the period from 2008 to 2018. Payment of Honorarium amounting to Rs. 2,23,000/- had been made on 07.08.2019 with the assistance of Chhattisgarh State Legal Services Authority.

**C. INAUGURATION OF THE MEDIATION CENTRE (ROOM -1)**

The High Court Mediation Centre as a way forward for developing the basic infrastructure facility took an initiative by developing one additional mediation room with all basic amenities required for conducive mediation session. The High Court Mediation Centre Room-1 situated adjacent to the Court Hall No. 14 was inaugurated on 08.02.2019 by the auspicious hands of Registrar General , High Court of Chhattisgarh.

**D. RESOLVING LONG PENDING DISPUTES**

The High Court Mediation Centre has remained successful in resolving long pending disputes and in a major breakthrough the settlement agreement has been executed between (1) M/s. DD Enterprises Vs. M/s. JMS Mining Private Ltd. (2) M/s. Bansal Life Sciences Ltd. Vs. Chhattisgarh Medical Services Corporation Ltd. (3) Smt. Shruti Jain Vs. Shri Ankit Jain.

**E. REFERRAL JUDGES TRAINING PROGRAMME**

One day referral judges training programme under the aegis of the Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) was held on 15.12.2019 at Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur. In the training programme 94 Civil Judges of the subordinate courts took participation.

| | |
|---|---|
| **मध्यस्थता तुरंत<br>न्याय की प्रक्रिया** | **मध्यस्थता फैसला<br>आपका फैसला** |

**मध्यस्थता में आपसी सहयोग होता है<br>जो समझौते से अधिक सार्थक है।**

**"My joy was boundless. I realized the true function of a lawyer was to unite parties. A large part of my time during the 20 years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases.**
**I lost nothing thereby – not even money,**
**certainly not my soul"**

***- Mahatma Gandhi***

**"Discourage Litigation;**
**persuade your neighbours to compromise. Point out to them, how the nominal winner is often a real loser;**
**in fees, expenses & waste of time"**

***- Abraham Lincoln***

## SCHEME FOR TRAINING UNDER MEDIATION AND CONCILIATION PROJECT COMMITTEE (MCPC)

The Supreme Court of India has constituted Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) to oversee the effective implementation of Mediation and Conciliation in the Country. The Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) was constituted by the then Chief Justice of India Hon'ble Mr. Justice R.C. Lahoti by order dated 9th April, 2005. Hon'ble Mr. Justice N. Santosh Hegde was its first Chairman. It consisted of other Judges of the Supreme Court and High Court, Senior Advocates and Member Secretary of NALSA.

### 1. COMPOSITION

At present the constitution of MCPC is as under :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice R.F. Nariman | Chairman |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul | Member |
| 3. | Hon'ble Ms. Justice Indu Malhotra | Member |
| 4. | Shri P.S. Narsimha, Addl. Solicitor General | Member |
| 5. | Mr. Alok Agarwal, Member Secretary NALSA | Member |
| 6. | Mrs. Mezivolu T. Therieh | Member-Secretary |

### 2. ELIGIBILITY FOR TRAINING

The following persons are eligible for training as Mediators :

(a) (i) Retired Judges of the Supreme Court of India,

(ii) Retired Judges of the High Court;

(iii) Retired District and Sessions Judges or retired Judges of the City Civil Court or Courts of equivalent status.

(b) Judicial Officers or legal practitioners with atleast 10 years standing at the bar at the level of the Supreme Court or the High Court or the District Courts of equivalent status;

(c) Experts or other professionals with the last fifteen years standing; or retired senior bureaucrats or retired senior executives;

### 3. TRAINING OF MEDIATORS

The Mediators are trained as per the curriculum approved by the MCPC contained in the manual known as Mediation Training Manual of India. The Mediation Training Manual was prepared under the guidance of Hon'ble Mr. Justice Cyriac Joseph, former member, MCPC and Chairman, Sub-Committee. Any person to be trained as a Mediator has to undergo compulsory 40 hours mediation training imparted by trainers of MCPC as per the curriculum laid down in Mediation Training Manual. Mediation Training Manual of India can be downloaded from the Supreme Court of India website-sci.nic.in.

## 4. ACCREDITION

A person must have undergone 40 hours of mediation training programme under the aegis of MCPC as per curriculum approved by MCPC from the trainers of Mediation and Conciliation Project Committee. After having undergone 40 hours training only those mediators who have completed atleast 10 successful mediation resulting in settlement and atleast 20 mediation in all, are eligible to be accredited as qualified mediator.

The Committee also resolved that the Mediators who have undergone training programme conducted by institution other than MCPC shall not be accredited as Mediator under MCPC.

### 1. TRAINING OF TRAINERS PROGRAMME

Master trainers of Mediation have devised a 20 hour programme for training of trainers and only those mediators accredited by MCPC who have completed atleast 50 mediations resulting in settlement and atleast 60 mediations in all, are eligible to undergo Training of Trainers (ToT) programme. The training of trainers programme is also followed by advanced training programme to further crystallize the concept of mediation and skill development.

### 2. HONORARIUM TO MEDIATORS ACCREDITED BY MCPC

| S.No. | Nature of case | Honorarium |
|---|---|---|
| 1. | On settlement through mediation of a matrimonial case [including criminal], custody, guardianship, probate, partition and possession. | Rs. 3000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 4000/-] |
| 2. | All other matters. | Rs. 2000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 3000/-] |
| 3. | Connected case | Rs. 500/- per case subject to a maximum of Rs. 1000/- [regardless of the number of connected cases] |
| 4. | In case of no settlement | No honorarium |

The scheme of training under MCPC has been devised in such a way so as to ensure uniformity in the curriculum of the Mediation training and also to maintain quality control of mediators throughout the country.

The endeavour of the Mediation and Conciliation Project Committee is to give a boost to the Court annexed mediation and to help mediation in growing not as an alternative Dispute Resolution Mechanism but as another effective mode of dispute resolution.

## IMPORTANT GUIDELINES FOR REFERRAL JUDGES

**1)** As per Section 89 and Rule 1-A of Order 10 of the CPC, the Court should explore the possibility of referral to ADR processes after the pleadings are complete and before framing the issues when the case is taken up for preliminary hearing for examination of parties under Order 10 of the Code. If for any reason, the Court could not consider and refer the matter to ADR processes before framing issues, the case can be referred even after framing of the issues.

In family disputes or matrimonial cases, the ideal stage for mediation would be immediately after service of respondent and before filing of objections/written statements. In such cases, the relationship between concerned parties becomes hostile on account of various allegations in the petition. The hostility would be further aggravated by the counter-allegations made in written statement or objections.

**2)** After completion of the pleadings and before framing of the issues, the Court shall fix a preliminary hearing for appearance of parties to acquaint itself with the facts of the case and the nature of the dispute between the parties.

**3)** The Court should first consider whether the case is not fit to be referred to any ADR processes. If the case is not suitable for any ADR process then Court should record a brief order referring to the nature of the case and why it is not fit for reference to ADR processes. If cases can be referred to ADR processes, the Court should explain the choice of five ADR processes to the parties to enable them to exercise their option.

**4)** The Court should first ascertain regarding choice of parties for arbitration and should inform the parties that arbitration is an adjudicatory process and reference to arbitration will permanently take the suit outside the ambit of the Court.

**5)** If the parties are not agreeable for arbitration, the Court should ascertain whether the parties are agreeable for reference to conciliation which will be governed by the provisions of the AC Act. If all the parties agree for reference to conciliation and agree upon the conciliator(s), the Court can refer the matter to conciliation in accordance with Section 64 of the AC Act.

**6)** If parties are not agreeable for arbitration and conciliation, the Court after taking into consideration the preferences/options of parties, refer the matter to any one of the other three other ADR processes:

(a) Lok Adalat;
(b) Mediation by a neutral third party facilitator or mediator;and
(c) A judicial settlement, where a Judge assists the parties to arrive at a settlement.

**7)** If the case is simple or relating to a matter where the legal principles are clearly settled and there is no personal animosity between the parties, the Court may refer the matter to Lok Adalat.

**8)** If the case is complicated and requires negotiations, the Court should refer the case to mediation. If the facility of mediation is not available or where the parties opt for the guidance of a Judge to arrive at a settlement, the case can be referred to another Judge for attempting settlement.

9) If ADR process is not successful, then Court shall proceed with hearing of the case. If case is settled, then Court shall examine the settlement and shall make a decree in terms of it keeping in view the legal principles of Order 23 Rule 3 of the Code.

10) If the settlement includes terms and conditions which are not the subject matter of the suit, the settlement shall be governed by Section 74 of the AC Act (if it is a Conciliation Settlement) or Section 21 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (if it is a settlement by a Lok Adalat or by mediation which is a deemed Lok Adalat).

11) If any term of the settlement is ex facie illegal or unforceable, the Court should draw the attention of parties thereto to avoid further litigations and disputes about executability.

12) The Court shall record the mutual consent of the parties if the case is referred to arbitration or conciliation. If the reference is to any other ADR process, the Court should briefly record that having regard to the nature of dispute, the case deserves to be referred to Lok Adalat, or mediation or judicial settlement, as the case may be. The Referral Order should not be an elaborate order.

13) The requirement in Section 89 (1) that the Court should formulate or reformulate the terms of settlement would only mean that Court has to briefly refer to the nature of dispute and decide upon the appropriate ADR process.

14) If the Presiding Judge of the case assists the parties and if settlement negotiations fail, he should not deal with the adjudication of the matter, to avoid apprehensions of bias and prejudice. It is, therefore, advisable to refer cases proposed for Judicial Settlement to another Judge.

15) If the Court refers the case to ADR process (other than Arbitration), it should keep track of the case by fixing a hearing date for the ADR Report. The period allotted for the ADR process should not exceed from the period as permitted under applicable Mediation Rules. The Court should take precaution that under no circumstances the ADR process shall be used as a tool in the hands of an unscrupulous litigant to delay the trial of the case.

16) The Court should not send the original judicial record of the case at the time of referring the case for an ADR forum, however only copies of relevant papers of the judicial record should be annexed with referral order. If the case is referred to a Court annexed Mediation Centre which is under the exclusive control and supervision of a Judicial Officer, the original file may be made available wherever necessary.

**Source : Mediation Training Manual for Awareness Programme published by M.C.P.C. Supreme Court of India.**

·······0·······0·······0·······

***"Conflict is inevitable, but combat is optional."***

**- Max Lucado**

## –: आलेख :–
## मध्यस्थता प्रक्रिया पर भरोसा

रणबीर सिंह मरहास
अधिवक्ता / मध्यस्थ
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़

किसी भी आपसी संबंध में भरोसा या आपसी विश्वास एक अतिमहत्वपूर्ण घटक होता है। भरोसा न होने पर कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कहता। यदि भरोसा न हो तो कोई पक्षकार प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य मध्यस्थ के साथ साझा करने को तैयार नहीं होगा।

मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न केवल पक्षकारों का बल्कि स्वयं मध्यस्थ का भी इस प्रक्रिया पर भरोसा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यस्थता की प्रक्रिया में यदि स्वयं मध्यस्थ का, मध्यस्थता के लिए प्रकरण भेजने वाले न्यायालय का और पक्षकारों का विश्वास न हो तो मध्यस्थता की मूलभूत अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी।

ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पक्षकारों का प्रक्रिया में भरोसा और विश्वास बना रहे यह आवश्यक है कि सभी सरोकार रखने वाले पक्ष इसके प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। मध्यस्थता की प्रक्रिया के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका अक्षरशः पालन व अनुसरण किया जावे। सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि मध्यस्थ का संवाद पक्षकारों से सीधा हो और उसमें कोई दुराव या छुपाव ना हो। इसके लिए प्रक्रिया के प्रारंभ में ही यह सत्य सभी पक्षों को समझ में आ जाना चाहिए कि मध्यस्थ सभी पक्षकारों के लिए लाभप्रद बातें कर रहा है। एक बार भरोसा जीत लिया तो आधा मैदान जीता हुआ समझा जा सकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पक्षकारों के अधिवक्ताओं की है जो अपने पक्षकारों को पूर्व से ही इस प्रक्रिया में भरोसा दिला सकते हैं, इससे होने वाले लाभ के बारे में उन्हें समझा सकते हैं।

प्रश्न यह भी उठता है कि पक्षकारों के मध्य किस प्रकार से बात की जाए कि सभी पक्षकारों का मध्यस्थ पर इस प्रकार भरोसा तैयार हो कि वे उसकी बात न सिर्फ ध्यान से सुनें बल्कि उसे समझें भी और उस पर अमल भी करें। ऐसा करने के लिए छोटे–छोटे व्यक्तिगत संस्मरणों से प्रारंभ किया जा सकता है या फिर कुछ विचारणीय बिंदुओं पर चिंता जाहिर करके उन्हें बोलने के लिए उद्यत किया जा सकता है। एक बार पक्षकार आप से संवाद स्थापित करें तो धीरे–धीरे भरोसा दिलाया जा सकता है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह पक्षकारों के लाभ के लिए है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पक्षकार अत्यंत विरोधी स्वभाव का हो या ऐसा भी हो सकता है कि वह अत्यंत कठोर हो या बात करने के लिए ही तैयार न हो, जिसके लिए अन्य प्रयास किए जा सकते हैं, किंतु यदि पक्षकार चर्चा में शामिल होते हैं तो यह माना जा सकता है कि पहला कदम उठा लिया गया है।

पक्षकारों का भरोसा जीतने में मध्यस्थ का रवैया, व्यवहार, शारीरिक हावभाव एवं भाव–भंगिमायें एक पृथक महत्व रखती हैं किंतु पूरी प्रक्रिया का ज्ञान भी एक आवश्यक पहलू होता है। यदि मध्यस्थ के चेहरे में उदासी या कोई ऋणात्मक भाव हो तो वह भरोसा जीतने में असफल होगा। इसलिए यह भी आवश्यक है कि मध्यस्थ स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और इस तरह का हावभाव रखे जैसे कि वह हर समस्या का निदान कर सकता है।

यह बहुत आवश्यक है कि मध्यस्थ तत्काल किसी निर्णय पर न पहुंचे और उसके बात करने के तरीके से यह समझ में आए कि वह सचमुच पक्षकारों के बीच के विवाद को गंभीर रूप से समझने के लिए बैठा है और उसे न्यायालयीन प्रक्रिया के इतर सुलझा सकने का माद्दा रखता है। इन सब बातों के अभाव में बहुत संभव है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया दूषित हो जाए और पक्षकारों की कोई भी सहमति न बन पाए।

पक्षकारों के भरोसे से अधिक मध्यस्थ को स्वयं इस प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए। लगभग ऐसा ही भरोसा पक्षकारों के अधिवक्ताओं और रेफरल न्यायालयों का भी होना चाहिये। इनके बिना मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होती जाएगी जिसके बारे में सिर्फ लिखा या पढ़ा जा सकेगा।

# —: आलेख :—
# भारत में मध्यस्थता— आगे का रास्ता

हमीदा सिद्दिकी
अधिवक्ता / मध्यस्थ
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़

मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान का एक रूप है। वैकल्पिक विवाद समाधान के स्पेक्ट्रम में निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एवं कन्सीलिएशन को मान्यता है। इनमें से सबसे अधिक प्रभावी प्रक्रियात्मक एवं अधोसंरचना युक्त मीडिएशन (मध्यस्थता) है। यह एक स्वैच्छिक (optional & voluntary) प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार अपने लंबित मुकदमे का निदान करने हेतु मध्यस्थ का सहारा ले सकते हैं। मध्यस्थता अदालत के बाहर, शीघ्रता से बिना खर्च के तथा दो लोगों के बीच मतभेदों को भी खत्म करता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थता की प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रक्रिया से अलग, सरल और लचीली है।

भारत में पक्षकारों का मध्यस्थता की ओर रूझान कम है एवं केवल न्यायालय निर्देशित मध्यस्थता तक ही मामले सीमित है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में मध्यस्थता के नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित किए गए हैं। जहॉं तक प्राइवेट मीडिएशन का प्रश्न है ,यह भारत में प्रचलित नहीं है न ही मान्यता प्राप्त है इसलिए इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि मध्यस्थता की मान्यता के लिए विधान बनाया जाए एवं न्यायिक प्रक्रिया में इसको मान्यता दी जाए।

भारत ने यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन्स ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट (United Nations Conventions on International Settlement Agreement) को हस्ताक्षरित किया है इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की पूर्ति में भारत को आवश्यक है कि विधायिका (Statute) मध्यस्थता के क्रियान्वयन के लिए ड्राफ्ट तैयार करें। 129 वें लॉ कमीशन के अनुसार भी मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजना आवश्यक है। जैसे—जैसे हम ग्लोबल साइबर युग में प्रवेश कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिएशन भी समय की आवश्यकता है। सभी प्रकार के कामर्शियल विवाद, उपभोक्ता विवाद, भूमि विवाद, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी विवाद व अन्य विवाद मध्यस्थता द्वारा निपटाये जा सकते हैं। कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मीडिएशन सेल बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मध्यस्थता को उचित स्थान देने हेतु आम लोगों में जागरूकता, प्रक्रिया की मान्यता एवं न्यायिक संस्था का संवेदीकरण करना आवश्यक है। एक बेहतर तरीके से चलने वाली प्रक्रिया, अच्छी अधोसंरचना, पक्षकारों को प्रोत्साहित करेगी और विधायिका की मदद से न्यायिक मान्यता होने पर अधिवक्ता इसे व्यवसाय के रूप में चुन सकेंगे। इस प्रकार भारत में मध्यस्थता की अपार संभावना है जो अपनी जगह बना कर न्यायदान का एक अद्भुत अंग बन सकता है।

# मध्यस्थता प्रक्रिया – एक संक्षिप्त परिचय

एक आम व्यक्ति या पक्षकार को यह जानकारी होना आवश्यक हो जाता है कि मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरूआत कैसे होती है और यह प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है।

कोई भी मामला संबंधित न्यायालय, प्राधिकरण या ऐसे बोर्ड जिनमें उनका विवाद लंबित है, उनके द्वारा या मामले के पक्षकारों के निवेदन पर मध्यस्थता के लिए प्रेषित किया जाता है। पक्षकारगण न्यायालय, प्राधिकरण या ऐसे बोर्ड के समक्ष यह निवेदन कर सकते हैं कि उनका मामला मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाए। तब संबंधित न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड उभयपक्ष और उनके अधिवक्तागण से निर्धारित प्रारूप में प्रकरण का आवश्यक विवरण, पक्षकारों का पूर्ण विवरण और उनकी सहमति लेकर प्रेषण आदेश (Referral Order) संबंधित मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित करते हुए उभयपक्षों को निर्देशित करती है कि वे निश्चित तिथि पर उस मध्यस्थता केन्द्र में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रेषण आदेश (Referral Order) भेजने के पश्चात् प्रकरण को करीब 2 से 3 माह के लिये आगे बढ़ा दिया जाता है और मध्यस्थता प्रक्रिया के परिणाम प्राप्त होने के लिए मामला नियत कर दिया जाता है।

न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड से प्रेषण आदेश (Referral Order) प्राप्त होने पर संबंधित मध्यस्थता केन्द्र में उस प्रेषण आदेश (Referral Order) का पंजीयन कर क्रमाँक दिया जाता है और सूचीबद्ध प्रशिक्षित मध्यस्थों में से किसी एक को उस मामले के लिए मध्यस्थ नियुक्त करते हुए इसकी सूचना नियुक्त मध्यस्थ तथा उभयपक्ष को दी जाती है। प्रकरण तथा पक्षकारों के सम्पूर्ण विवरण वाले प्रेषण आदेश (Referral Order) की एक प्रति नियुक्त मध्यस्थ को दी जाती है जिससे कि आवश्यकता पर वह पक्षकारों को फोन से भी सूचित कर सकें और जरूरत पड़ने पर ई–मेल भी कर सकें। इसी प्रकार, नियुक्त मध्यस्थ के फोन नम्बर और ई–मेल आई.डी. की जानकारी पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को भी दी जाती है जिससे वे आपस में आवश्यकता के अनुरूप सम्पर्क स्थापित कर सकें।

मध्यस्थ की नियुक्ति के पश्चात् यह मध्यस्थ की जिम्मेदारी होती है कि वह उभयपक्ष के साथ समय–समय पर बैठक करें और प्रक्रिया पूर्ण होने पर अपनी रिपोर्ट नियत तिथि तक मध्यस्थता केन्द्र में जमा कर दें। इस मध्य उनके बीच जो भी बैठकें होती हैं उनकी तिथि और समय नियत करने की जिम्मेदारी मध्यस्थ की होती है। पक्षकारों को नोटिस भेजने की आवश्यकता पड़ती है तो वह मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से नोटिस भेजी जाती है। नोटिस प्रेषित करने और पक्षकारों को सूचित करने में समय अपव्यय होता है इसलिए अपेक्षा होती है कि मध्यस्थ के साथ पक्षकारों और उनके अधिवक्तागण के फोन नम्बर और ई–मेल आई.डी. का प्रारम्भिक अवस्था में ही आदान–प्रदान हो जाए

मध्यस्थ द्वारा जो बैठकें की जाती हैं वे संयुक्त और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की होती हैं। बैठकों की क्या प्रक्रिया होगी, यह मध्यस्थ ही उभयपक्ष से चर्चा कर तय करता है, उसके लिए कोई कानूनी बंधन नहीं होता है। मध्यस्थ अपनी कुशलता से उभयपक्ष का विश्वास जीत कर यह प्रयास करता है कि उभयपक्ष अपने विवाद के विषय में एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक मत हो सकें। मामले में मध्यस्थ किसी भी पक्ष को किसी प्रकार का दबाव या लालच नहीं दे सकता है और पक्षकार किसी बिंदु पर एक मत होने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बात यह है कि उभयपक्ष के साथ मध्यस्थ की जो आपसी चर्चा होती है वह चर्चा किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को बताने के लिए उभयपक्ष या मध्यस्थ बाध्य नहीं किए जा सकते और कोई न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड भी उन्हें आपसी चर्चा की बातों को उजागर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह मध्यस्थता प्रक्रिया की एक मूलभूत विशेषता है।

मामले में यदि उभयपक्ष एक मत नहीं हो पाते हैं या कोई सार्थक सुलह नहीं हो पाती है तो मध्यस्थ अपनी एक लाईन की रिपोर्ट यह लिखकर मामला, न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड में वापस कर देता है कि "मध्यस्थता प्रक्रिया सफल नहीं रही" इसके अतिरिक्त और कोई भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् न्यायालय अपनी कार्यवाही आगे प्रारंभ कर देता है।

दूसरी ओर उभयपक्ष के मध्य विवाद के बिंदु पर कोई सार्थक निष्कर्ष निकलता है और वे एक मत होते हैं तो जिन बिन्दुओं पर उभयपक्ष एक मत हुए हैं उनका एक सुलहनामा या समझौता-पत्र मध्यस्थ द्वारा तैयार कर हस्ताक्षरित किया जाता है जिस पर उभयपक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षर करते हैं और वह उस न्यायालय को भेज दिया जाता है जिसके द्वारा प्रकरण प्रेषित किया गया था तथा उसकी एक-एक प्रति मध्यस्थ द्वारा उभयपक्ष को नि:शुल्क प्रदान कर दी जाती है। यदि उस विवाद से संबंधित एक से ज्यादा मामले हैं और विभिन्न न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड में लंबित हैं तो पक्षकारगण ऐसे प्रत्येक न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड में उस सुलहनामा/समझौता पत्र की प्रति को पेश करके अपने मामले का निराकरण करा सकते हैं। ऐसा सुलहनामा/समझौता पत्र पेश होने पर न्यायालय/प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा उभयपक्ष से चर्चा की जाती है और उनके सहमत होने पर उस सुलहनामा या समझौता-पत्र के आधार पर न्यायालय अंतिम आदेश पारित करता है, जो न्यायालयीन आदेश का प्रभाव रखता है और जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।

**संजय कुमार जायसवाल**
रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं जाँच)
प्रभारी, मध्यस्थता केन्द्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
सचिव, मध्यस्थता केन्द्रों की निगरानी समिति

Mediation Case No. -----------------------

NEXT DATE OF HEARING IN
THE REFERRAL COURT ----------------

NAME OF THE REFERRAL COURT:- ----------------------------------------------
----------------------------------------------

CASE NUMBER OF THE REFERRAL COURT:- ------------------------------------------------

NAME OF THE PARTIES:- -------------------------------------------------------------------

VS.

-------------------------------------------------------------------

DATE OF INSTITUTION OF THE CASE:- ----------------------------------------------------------

NATURE OF CASE:- ------------------------------------------------

STAGE OF THE CASE AT THE TIME OF REFERRAL:- ----------------------------------------

NO. OF HEARINGS AT THE TIME OF REFERRAL:- ----------------------------------------

## MEDIATION REFERRAL ORDER

This Court, having conferred with the parties and having determined that this matter could benefit from mediation, and pursuant to Section 89 of the CPC, Orders that the following persons shall attend mediation as provided by the Mediation Centre (District Court ...........).

The above parties and advocates will report to the Mediation Centre (District Court ...........) on ----------------- at ----------------------- a.m./p.m. If it is not possible to mediate this case on the date fixed, the Mediation Centre will arrange a future date for mediation convenient to the parties. If any party to the dispute referred to Mediation has any objection to the mediator assigned to it, the said party shall inform the Mediation Centre of the same and thereafter the Co-ordinator, Mediation centre shall endeavour to appoint a Mediator who may be acceptable to all the parties.

If a settlement agreeable to the parties is reached, the terms shall be recorded by the mediator and signed by the parties/their counsel and returned to this Court for further appropriate orders.

If no settlement is reached, neither the parties, the advocate, nor the mediator may disclose this Court anything that was discussed at the mediation.

No fee shall be payable by the parties for mediation.

Signature of the referral Judge with date ---------------------------

__________________________________
Signature of Plaintiff/Victim
Phone No.__________________________
Email Id. __________________________
Name of the Advocate ________________
__________________________________
Phone No. of the Advocate ____________
Email Id. of the Advocate ______________

__________________________________
Signature of Defendant/Accused
Phone No. _______________________
Email Id. __________________________
Name of the Advocate ______________
__________________________________
Phone No. of the Advocate __________
Email Id. of the Advocate ____________

## ***DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A MEDIATOR***

(a) A Mediator should be fair and absolutely impartial. He should have no bias against any party.

(b) He should not disregard principles of natural justice.

(c) He should have no interest direct or remote with the subject matter of the dispute or with any of the parties and should not act as an Advocate of any of the parties to the dispute.

(d) He should not misconduct matters or the proceedings.

(e) He should not accept any illegal gratification or receive any pecuniary inducement which may affect the fair determination of the matters submitted for mediation.

(f) A Mediator must give the parties notice of the meeting and submit the opportunity to present their case.

(g) Both the parties must be given equal opportunity to forward their case.

(h) He should not give professional or legal advise to any party.

(i) He should not impose an outcome on any party.

(j) He should not make any decisions for any of the parties.

(k) He should before the commencement of the mediation disclose to the parties any prior association with any of the parties as well as his interest, if any, in the dispute.

(l) He should not disclose to any person or in the Court unless agreed to by both the parties any information or document which has come to him during the course of mediation.

(m) He should not mediate unless he has the necessary competence to do so and to satisfy the reasonable expectation of the parties.

**Source :** ***Mediation Training materials presented by Firdosh Kassam (Karachiwala).***

·······0·······0·······0·······

***"A good settlement is better than a good lawsuit."***

**– Abraham Lincoln**

## REFERRAL JUDGES TRAINING PROGRAMME
## CHHATTISGARH STATE JUDICIAL ACADEMY

*(Dated 15th December, 2019)*

## INAUGURATION OF THE MEDIATION CENTRE (ROOM - 1)

*(Dated 08th February, 2019)*

# 40 HOURS MEDIATION TRAINING PROGRAMME
# CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

*(FROM 03rd to 07th August, 2019)*

## *(INAUGURAL SESSION)*

# 40 HOURS MEDIATION TRAINING PROGRAMME
# CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

## (VALEDICTORY SESSION)

# MEDIATION AWARENESS PROGRAMME
# ORGANISED IN VARIOUS DISTRICTS OF THE STATE

बिलासपुर

पत्नी के सामने कान पकड़कर लगाई उठक-बैठक, कहा- अब नहीं पीऊंगा शराब

फर्जी एनजीओ बनाकर साढ़े पांच करोड़ का किया घोटाला

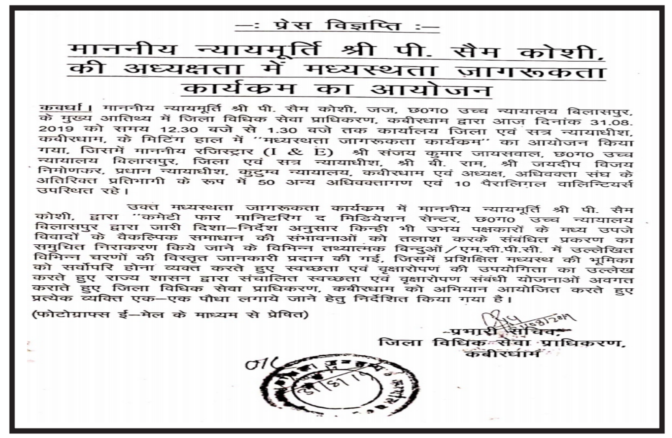
—: प्रेस विज्ञप्ति :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी, की अध्यक्षता में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

कवर्धा। माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी, जज, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, के मुख्य आतिथ्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम द्वारा आज दिनांक 31.08.2019 को समय 12.30 बजे से 1.30 बजे तक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम, के मिटिंग हाल में ''मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम'' का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय रजिस्ट्रार (I & E) श्री संजय कुमार जायसवाल, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री बी. राम, श्री जयदीप विजय निमोणकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम एवं अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ के अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में 50 अन्य अधिवक्तागण एवं 10 पैरालिगल वालिन्टियर्स उपस्थित रहे।

उक्त मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी, द्वारा ''कमेटी फार मानिटरिंग द मिडियेशन सेन्टर, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार किन्ही भी उभय पक्षकारों के मध्य उपजे विवादों के वैकल्पिक समाधान की संभावनाओं को तलाश करके संबंधित प्रकरण का समुचित निराकरण किये जाने के विभिन्न तथ्यात्मक बिन्दुओं/एम.सी.पी.सी. में उल्लेखित विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की भूमिका को सर्वोपरि होना व्यक्त करते हुए स्वच्छता एवं वृक्षारोपण की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए राज्य शासन द्वारा संचालित स्वच्छता एवं वृक्षारोपण संबंधी योजनाओं अवगत कराते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम को अभियान आयोजित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक-एक पौधा लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(फोटोग्राफ्स ई-मेल के माध्यम से प्रेषित)

प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कबीरधाम

कई परिवार एक हुए, एसपी तक का घर दोबारा बसाने में की मदद

| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पते, फोन नंबर एवं ई–मेल आई.डी. | | |
|---|---|---|
| क्र0 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम | टेलीफोन नंबर ई–मेल |
| 1 | जिला न्यायालय परिसर, बस्तर (जगदलपुर) | 07782 - 231250 dlsa.bastar@gmail.com |
| 2 | एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर | 07752 - 221790 dlsa.bilaspur@gmail.com |
| 3 | जिला न्यायालय परिसर, बालोद | 07749 - 223076 dlsa.balod@gmail.com |
| 4 | जिला न्यायालय परिसर, बलौदा बाजार | 07727 - 222230 dlsa.balodabazar@gmail.com |
| 5 | जिला न्यायालय परिसर, बेमेतरा | 07824 - 222152 dlsa.bemetara@gmail.com |
| 6 | जिला न्यायालय परिसर, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा | 07856 - 252534 dlsa.dantewada@gmail.com |
| 7 | गौरव पथ, न्याय सदन, दुर्ग | 0788 - 2330618 dlsa.durg@gmail.com |
| 8 | जिला न्यायालय परिसर, धमतरी | 07722 - 232056 dlsa.dhamtari@gmail.com |
| 9 | जिला न्यायालय परिसर, जशपुरनगर | 07763 - 220962 dlsa.jashpur@gmail.com |
| 10 | जिला न्यायालय परिसर, जांजगीर–चांपा | 07817 – 224000 dlsa.janjgir@gmail.com, dlsa-janjgir.cg@gov.in |
| 11 | जिला न्यायालय परिसर, कोरबा | 07759 - 228939, 222709 dlsa.korba@gmail.com |
| 12 | जिला न्यायालय परिसर, कोरिया (बैकुण्ठपुर) | 07836 – 233596 dlsa.koria@gmail.com |
| 13 | जिला न्यायालय परिसर, कबीरधाम (कवर्धा) | 07741 - 232044 dlsa.kabirdham@gmail.com |
| 14 | जिला न्यायालय परिसर, महासमुंद | 07723 - 222939 dlsa.mahasamund@gmail.com |
| 15 | जिला न्यायालय परिसर, मुंगेली | 07755 - 264080 dlsa-mungeli.cg@gov.in |
| 16 | जिला न्यायालय परिसर, रायपुर | 0771 - 2425944 dlsa.raipur@gmail.com |
| 17 | जिला न्यायालय परिसर, रायगढ़ | 07762 - 220189 dlsa.raigarh@gmail.com |
| 18 | जिला न्यायालय परिसर, राजनांदगांव | 07744 - 227441 dlsa.rajnandgaon@gmail.com |
| 19 | न्याय सदन, जिला न्यायालय परिसर, सरगुजा (अम्बिकापुर) | 07774 - 236203 dlsa.sarguja@gmail.com |
| 20 | जिला न्यायालय परिसर, सूरजपुर | 07775 - 266122 dlsa.surajpur@gmail.com dlsa.surajpur-cg@gov.in |
| 21 | जिला न्यायालय परिसर, उत्तर बस्तर कांकेर | 07868 - 222131, 223679 dlsa.kanker@gmail.com |
| 22 | जिला न्यायालय परिसर, कोण्डागांव | 07786 - 242501 dlsa.kondagaon@gmail.com dlsa.kondagaon-cg@gov.in |
| 23 | जिला न्यायालय परिसर, बलरामपुर–रामानुजगंज | 07779 - 276301 ramanujganj.court-cg@gov.in, dlsaramanujganj@gmail.com |
| 24 | उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, छ0ग0 उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी | 07752 - 241023 hclsc.cg@gov.in |

| HIGH COURT MEDIATION CENTRE<br>LIST OF MCPC TRAINED MEDIATORS | | |
|---|---|---|
| *S.No.* | *Name of Mediator* | *Contact No.* |
| 1 | Shri Y. C. Sharma | 98261-63251 |
| 2 | Shri Awadh Tripathi | 98271-66574 |
| 3 | Ku. Minu Benarjee | 94241-45102 |
| 4 | Shri M.P.S. Bhatia | 94252-36123 |
| 5 | Shri Ranbir Singh Marhas | 98261-50592 |
| 6 | Smt. Hamida Siddiqui | 98261-20216 |
| 7 | Smt. Anubhuti Marhas | 94252-80351 |
| 8 | Shri Prakash Tiwari | 98261-71043 |
| 9 | Shri Rajesh Kumar Kesharwani | 94252-06089 |
| 10 | Smt. Usha Chandrakar | 94255-84329 |
| 11 | Shri Rewa Shankar Patel | 98271-82126 |
| 12 | Shri Jameel Akhtar Lohani | 98265-01123 |
| 13 | Miss Sofia Khan | 98279-01725 |
| 14 | Shri Rakesh Kumar Dubey | 98271-43724 |
| 15 | Shri Sudeep Agrawal | 98267-23750 |
| 16 | Shri Raj Kumar Gupta | 80857-37027 |
| 17 | Shri Malay Shrivastava | 98266-02507 |
| 18 | Shri Vipin Kumar Tiwari | 70000-64727 |
| 19 | Shri Sandeep Dubey | 90399-37201 |
| 20 | Ms. Sunita Jain | 98271-88470 |
| 21 | Shri Vivek Singhal | 98279-79411 |
| 22 | Smt. Naushina Afrin Ali | 96170-92676 |
| 23 | Shri Dhiraj Kumar Wankhede | 99772-80280 |
| 24 | Ms. Nirupama Bajpai | 91111-54144 |